

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2024

जयपुर, दिनांक :

आदेश

जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ़ में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद पर डा. मुकेश कुमार, कनिष्ठ विशेषज्ञ (माइक्रोबायोलोजी) के स्थान पर डा. शंकर लाल सोनी, कनिष्ठ विशेषज्ञ (विधि विज्ञान), जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ़ को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार दिया जाकर जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ़ कार्यालय की सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 3 के अन्तर्गत कार्यालयाध्यक्ष घोषित करते हुए आहरण एवं वितरण अधिकारी की शक्तियां एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(प्रीति माथुर)
संयुक्त शासन सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2)
विभाग एवं पचायती राज
(चिकित्सा) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य/प. क.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन, बीकानेर
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ़
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़
8. कोषाधिकारी, हनुमानगढ़
9. संबंधित अधिकारी
10. कम्प्यूटर सेल/निजी/रक्षित पत्रावली
11. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
7983710

Document certified by PREETI MATHUR
<adwececell.we@rajasthan.gov.in>.

Digitally Signed by Priiti Mathur
Designation : Joint Secretary To
Government
Date :12-06-2024 12:07:22